# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## संख्या : 16/467

1. पानादेवी पत्नी श्री रामसिंह ।
2. श्याम सिंह आत्मज श्री रामसिंह ।
3. रमेश सिंह आत्मज श्री रामसिंह ।
4. चन्दन सिंह आत्मज श्री रामसिंह ।
5. शकुन्तला पुत्री श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासीगण 2 –ल–13 विज्ञान नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सूरज सिंह यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 27.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, लाडपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन पूर्व खसरा नं0 925 रकबा 15 बीघा एवं हाल खसरा नं0 1522 रकबा 2.40 हैक्टर ग्राम रानपुर दिनांक 23.11.74 निरस्त करने हेतु निवेदन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी को आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्वाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.01.2003 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी अपीलान्ट पाना देवी बेवा रामसिंह, श्याम सिंह, रमेश सिंह, चन्दन सिंह पुत्र रामसिंह, शकुन्तला पुत्री रामसिंह जाति रापूत के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1974 निरस्त करने का आदेश पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.01.2003 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2007 के द्वारा खारिज कर दिया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2007 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2009 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2007 एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2003 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2009 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.07.2011 के द्वारा अप्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2013 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलीधीन आदेश दिनांक 26.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. अपीलान्ट अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त भूमि का आवंटन नियमों के मुताबिक किया गया था उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त पूर्व से ही चला आ रहा है । उक्त भूमि के आवंटन के समय से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के पूर्वज श्री रामसिंह आत्मज श्री टोडरसिंह जाति, राजपूत निवासी, कोटा को रिटायर्ड सैनिक होने के कारण उनके स्थायी आवास एवं रोजगार हेतु ग्राम रानपुर में दिनांक 23.11.74 को उपरोक्त भूमि आवंटित की गई थी तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार सैनिक रामसिंह ने भूमि को कृषिमय बनाने हेतु काफी रूपया खर्च किया । इसी दौरान रामसिंह का वर्ष 1982 में देहान्त हो गया जिनके देहान्त के बाद अपीलान्ट का इंतकाल खोला जाकर उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज चली आ रही है । अपीलान्ट पानाबाई सैविक की विधवा पत्नी है जिसके पॉच बाल–बच्चे हैं जिनके पालन–पोषण हेतु भूतपूर्व सैनिको को कृषि भूमि आवंटन किये जाने की नीति निर्धारित की थी । अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है नियमानुसार उद्घोषणा जारी हुई है तथा उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में गैर खातेदारी में दर्ज की गई है । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने

मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को नजर अन्दाज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में माननीय मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय दिनांक 21.01.2015 का न्यायिक निर्णय पेश किया ।

11. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी जिरह में कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन करने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है । आवंटी को आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन के प्रथम वर्ष में 50: क्षेत्रफल एवं दूसरे वर्ष शेष क्षेत्रफल पर काश्त कर निर्वाध रूप से सम्पूर्ण आराजी पर काश्त करनी चाहिए थी किन्तु आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपीलान्ट मृतक रामसिंह को दिनांक 23.11.74 को आवंटन समिति द्वारा आवंटन पूर्व खसरा नं0 925 रकबा 15 बीघा एवं हाल खसरा नं0 1552 रकबा 2.40 हैक्टर ग्राम रानपुर तहसील, लाडपुरा का आवंटन, आवंटन नियमो के अन्तर्गत किया गया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2051 से 2056 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित किया है तथा अपीलाधीन आदेश में किसी साक्ष्य आदि का हवाला नहीं दिया जिससे साबित हो कि उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है । हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में किसी भी साक्ष्य आदि उल्लेख नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई हो । वादग्रस्त आराजी अभी भी अपीलान्ट के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में गवाहान आदि ने भी कब्जे बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण एंव विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को माननीय मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2015 की रोशनी में रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2015 की रोशनी में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा